



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63469

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

प्रथम अपील संख्या - 241/2026

खुशहाल एवं अन्य

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: कृष्ण मोहन ओझा, मदन मोहन चौरसिया, एस.के. दुबे, शांति स्वरूप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: स्थायी अधिवक्ता, उत्कर्ष बिड़ला

न्यायालय संख्या - 39

माननीय संदीप जैन, न्यायमूर्ति

सिविल प्रकीर्ण विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या 4/2023 और सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 5/2023 पर आदेश

1. मृतक अपीलार्थी संख्या 9, रमेश, जिनकी मृत्यु 11.09.2016 को हुई थी, उनके कानूनी वारिसों के रूप में उनके पुत्र दलेश्वर चौहान और तीन विवाहित पुत्रियों श्रीमती कुसुम, श्रीमती पुष्पा और श्रीमती उषा को अभिलेख पर लाने के लिए प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए वर्तमान विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।
2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानूनी वारिसों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें अभिलेख पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है; इसलिए, प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समय पर दाखिल नहीं किया जा सका।
3. विलंब क्षमा और प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जो निर्विवाद बना हुआ है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र देरी से दाखिल करने के लिए दिखाया गया कारण पर्याप्त है।
4. तदनुसार, प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।
5. विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ-साथ प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं।
6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को तदनुसार अपील के मेमो में संशोधन करने का निर्देश दिया जाता है।

सिविल प्रकीर्ण विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या 48279/2015 और सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 48280/2015 पर आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1. मृतक अपीलार्थी संख्या 7, सूरजमल, जिनकी मृत्यु 08.08.2007 को हुई थी, उनके चार पुत्रों लज्जे सिंह, लच्छे सिंह, अनंगपाल सिंह और धर्मपाल सिंह को अभिलेख पर लाने के लिए प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए वर्तमान विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी सूचित किया कि अपीलार्थी संख्या 8, शिव लाल की भी 22.09.2014 को मृत्यु हो गई है, वे अपने पीछे पुत्र गुरुदत्त सिंह और ओम प्रकाश सिंह को छोड़ गए हैं।
2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानूनी वारिसों को यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें अभिलेख पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है; इसलिए, प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समय पर दाखिल नहीं किया जा सका।
3. विलंब क्षमा और प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जो निर्विवाद बना हुआ है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र देरी से दाखिल करने के लिए दिखाया गया कारण पर्याप्त है।
4. तदनुसार, प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।
5. विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ-साथ प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं। विद्वान अधिवक्ता को तदनुसार अपील के मेमो में संशोधन करने का निर्देश दिया जाता है।

सिविल प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र (अतिरिक्त दस्तावेज) संख्या 6/2023 पर आदेश

1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम गिझौड़ की भूमि के मुआवजे के अधिनिर्णय से संबंधित मामला, जिसे नोएडा द्वारा दिनांक 28.02.1990 को धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, पहले ही इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है, अतः इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिया जाए।
2. चूंकि नोएडा बनाम हरचंद (मृत) कानूनी वारिसों के माध्यम से मामले में इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अपील के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं, इसलिए उन्हें अभिलेख पर लिया जाता है। तदनुसार, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील पर आदेश

1. वर्तमान अपील भूमि स्वामियों द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 54 के तहत मुआवजे में वृद्धि के लिए दशम अपर जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन संदर्भ संख्या 284/1993 [खुशहाल (मृत) कानूनी वारिसों के माध्यम से एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य] में पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक 16.08.2000 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा ग्राम गिझौड़, परगना और तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब गौतम बुद्ध नगर) में स्थित भूमि स्वामियों की अर्जित भूमि, जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 28.02.1990 के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, के लिए भूमि स्वामियों को 126/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत स्वीकार्य अन्य वैधानिक लाभ प्रदान किए गए हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. अपीलार्थी-भूमि स्वामियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम गिझौड़, परगना और तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब गौतम बुद्ध नगर) में स्थित भूमि के अर्जन से संबंधित मामला, जिसे अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 28.02.1990 के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) बनाम हरचंद (मृत) कानूनी वारिसों के माध्यम से एवं अन्य, सिविल अपील संख्या **2250-2251/2023**, निर्णय दिनांक 28.03.2023 में 306/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत स्वीकार्य अन्य वैधानिक लाभों के अतिरिक्त, प्रदान किया है।
3. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील में भूमि स्वामी/अपीलार्थी भी उसी मुआवजे की राशि के हकदार हैं, जो उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है।
4. प्रत्यर्थी/नोएडा की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी/नोएडा के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष बिड़ला की बीमारी की पर्ची अस्वीकार की जाती है।
5. मैंने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील स्वीकार की जाती है।
6. यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में मामला ग्राम गिझौड़, परगना और तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब गौतम बुद्ध नगर) में स्थित भूमि के अर्जन से संबंधित है, जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.02.1990 के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था। धारा 6 के तहत घोषणा 31.07.1990 को की गई थी, भूमि का कब्जा 21.02.1991 को लिया गया था, और कलेक्टर का अधिनिर्णय 30.07.1992 को किया गया था, जिसके द्वारा भूमि स्वामियों को 50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा प्रदान किया गया था, जिसे संदर्भ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय में बढ़ाकर 126 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है।
7. यह आगे स्पष्ट है कि ग्राम गिझौड़, परगना और तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब गौतम बुद्ध नगर) में स्थित भूमि के अर्जन से संबंधित मामला, जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.02.1990 के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हरचंद (उपर्युक्त) के मामले में दिनांक 28.03.2023 को निर्णय देते हुए 306/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत स्वीकार्य अन्य वैधानिक लाभों के अतिरिक्त, प्रदान किया है।
8. सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त घोषणा के आलोक में, वर्तमान अपील के अपीलार्थी/भूमि स्वामी भी अपनी समान रूप से स्थित और अर्जित भूमि के लिए समान मुआवजा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
9. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी/भूमि स्वामी 306/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त करने के साथ-साथ 30% अतिरिक्त धनराशि (सोलेशियम), 12% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानित धारा 28 के तहत बढ़ा हुआ ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं।
10. यह वर्तमान अपील 02.12.2000 को दायर की गई थी लेकिन न्यायालय शुल्क की कमी को 10.12.2014 को पूरा किया गया था, अतः अपीलार्थी 02.12.2000 से 10.12.2014 के बीच की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उक्त अवधि के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर कोई वैधानिक ब्याज प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

11. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

12. कार्यालय को तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

(संदीप जैन, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

मयंक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"